PUBLIC WORKS DEPARTMENT
BUILDINGS AND ROADS BRANCH
Ambala Circle

The 24th February, 1987

No. SE/P.W.D./B & R/Ambala/790.--Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be taken by the Government, at the public expenses, for a public purpose, namely, for constructing Link road from Bibipur to Nandu Khera in district Kurukshetra, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the District Revenue Officer-cum Land Acquisition Collector, Kurukshetra hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

A Plan of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Kuruksheta and the Executive Engineer, Provincial Division No. I, Haryana P.W.P., B & R Branch, Kurukshetra.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.
Kurukshetra	Pehowa	Bibipur	50	2.71	44/24, 25, 45/21, 22, 56/1, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 8, 12, 131, 13/2, 17/1, 24/1, 24/2, 24/3 to 24/19, 57/1, 2, 3, 4, 5, 62/4, 7, 72, 85, 71, 97, 137, 98, 141, 103, 114, 115, 117, 118, 136

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Ambala Circle, P.W.D. B&R., Branch,
Ambala Cantt.

लोक निर्माण विभाग
भवन एवं सड़क शाखा
अम्बाला वृत

दिनांक 24 फरवरी, 1987

नं० एस०ई०/लो०नि०वि०/भ० एवं स०/अम्बाला/790.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में बीबीपुर से नंदू खेड़ा तक सड़क का निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, कुरुक्षेत्र, को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिये निदेश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, कुरुक्षेत्र एवं कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं० 1, हरियाणा, लो० नि० वि०, भ० एवं स० शाखा, कुरुक्षेत्र, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/ गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	खसरा नं०
कुरुक्षेत्र	पेहवा	बीबीपुर	50	2.71	44/24, 25, 45/21, 22

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	खसरा नं०
[illegible]	पेहवा	तीर्थपुर—समाप्त			56 / .. 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 8, 12, 13/1, 56 / 13/2, 17/1, 24/1, 24/2, 24/3 से 24/19 57 / 1, 2, 3, 4, 5 62 / 4, 7 72, 95, 71, 97, 137, 98, 141, 103, 114, 115, 117, 118, 136

(हस्ताक्षर) . . . ,
अधीक्षक अभियन्ता,
अम्बाला परिमण्डल लो०नि०वि०, भ० तथा म० शाखा,
अम्बाला ।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

AMBALA CIRCLE

The 24th February, 1987

No. SE PWD B&R Ambala 792.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be taken by the Government at the public expenses, for a public purpose, namely, for constructing road from Thanesar-Pehowa road to Muqwinpura, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector Kurukshatra, hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected in the offices of the District Revenne Officer-cum-Land Acquisition Collector, Kurukshetra and the Executive Engineer Provincial Division No. I, Haryana, PWD, B&R Branch, Kurukshetra.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.
1	2	3	4	5	6
Kurukshetra	Pehowa	Bhor Saidan	157	1.80	29 / 19/2, 19/3, 22, 38 / 9, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 19/3, 20/2, 21, 22, 26, 2

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.
1	2	3	4	5	6
Kurukshetra	Pehowa	Bhor Saidan—*concld*			52 1/1, 1/2, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22/1, 60/2, 141, 149, 151, 119, 409, 410, 411, 418, 180

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,

Ambala Circle, PWD., B. & R. Br.,
Ambala Cantt.

लोक निर्माण विभाग

भवन एवं सड़क शाखा

अम्बाला वृत

दिनांक 24 फरवरी, 1987

नं० एस. सी./लो.नि. वि/भ. एवं स./अम्बाला/792—.चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में थानेसर पेहवा रोड़ गांव मुकीमपुर तक सड़क का निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम, की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता कुरुक्षेत्र को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिये निदेश दिया जाता है।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता कुरुक्षेत्र एवं कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल नं. 1, हरियाणा लो. नि. वि., भ. एवं स. शाखा, कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/ गांव	हृदबस्त सं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	खसरा नं०
कुरुक्षेत्र	पेहवा	भोर सैयदां	157	1.80	29 19/2, 19/, 22, 38 9, 10, 11/1, 11/2, 38 12/1, 12/2, 12/3, 19/3, 20/2, 21, 22, 26, 2

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/ ग्राम	हदबस्त नं.	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	खसरा नम्बर
कुरुक्षेत्र	पेहवा	भोर-सैयदां—समाप्त			52
					1/1, 1/2, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 21, 22/1
					60/2, 141, 149, 151, 119, 409, 410, 411, 418, 180

(हस्ताक्षर) . . .,
अधीक्षक अभियन्ता,
अम्बाला वृत, लोक निर्माण विभाग,
भवन तथा मार्ग शाखा,
अम्बाला (हरियाणा)।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 5 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/131-86/429.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इम्प्रैगस एण्ड इन्सुलेशन कारपोरेशन, 19/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री नन्हें लाल, पुत्र श्री नथुराम, मार्फत श्री अमर सिंह सरपंच संजय इंक्लेव, भोला नगर, नजदीक नंगला रोड़, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री नन्हें लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/131-86/436.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इम्प्रैगस एण्ड इन्सुलेशन कारपोरेशन 19/6 मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री तेज पाल, पुत्र श्री खिल्लू राम, गांव अमरू, डा० भागोला, जिला फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना, की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा

मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री तेज पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./एफ०डी०/14-86/444.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) प्रशासक, हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण, इस्टेट आफिसर, सैक्टर 16, फरीदाबाद, (2) कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डिविजन नं० 2, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ब्रिमपाल मार्फत श्री एम० के० भण्डारी, कोठी नं० 360, सैक्टर 19, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री ब्रिमपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/यमुना/122-86/453.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) उपायुक्त, अम्बाला, (2) प्रशासक, नगर पालिका जगाधरी, के श्रमिक श्री मानसिंह, पुत्र श्री कृपाल सिंह, गांव व डा० मेहलांवाली, तहसील जगाधरी (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मानसिंह की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं०-ओ० वि०/एफ०डी०/144-86/460.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण डिविजन नं० 3 (रोड़ सीट) सैक्टर 9, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जीता, पुत्र श्री मोहन लाल, गांव लाडपुर, पोस्ट छाता, जिला सथुरा (उत्तर प्रदेश) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जीता की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।